संख्या : 340773 / E-75000/XXVII(1)/2025

प्रेषक,

दिलीप जावलकर,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/
विशेष प्रमुख सचिव/
सचिव/विशेष सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त अनुभाग–01 देहरादून : दिनांक 30 अक्टूबर 2025

विषय–"उत्तराखण्ड राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों हेतु लाभांश वितरण नीति, 2025" लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि राज्य सरकार द्वारा नागरिकों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए वाणिज्यिक गतिविधियों के संचालन तथा राज्य की अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने हेतु विभिन्न प्रशासकीय विभागों के अन्तर्गत कतिपय राज्य सार्वजनिक सेक्टर इकाइयों (एसपीएसयू) की स्थापना की गयी है। उक्त एसपीएसयू में राज्य सरकार का स्वामित्व अथवा अंशपूंजी निहित होती है जिसके फलस्वरूप उक्त एसपीएसयू द्वारा राज्य सरकार को प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के उपरान्त लाभांश (Dividend) का भुगतान किया जाना अपेक्षित होता है।

2– वर्तमान तक उक्त एसपीएसयू द्वारा राज्य सरकार को लाभांश के भुगतान के सम्बन्ध में कोई स्पष्ट नीति निर्धारित नहीं है जिस कारण राज्य सरकार को एसपीएसयू द्वारा नियमित रूप से लाभांश का भुगतान नहीं किया जा रहा है जिस कारण राज्य के वित्तीय हित प्रतिकूलतया प्रभावित हो रहे हैं। उक्त के दृष्टिगत राज्य सरकार के गैर कर राजस्व में वृद्धि किये जाने तथा एसपीएसयू के प्रदर्शन की निगरानी के उद्देश्य से **मा. मंत्रिमण्डल द्वारा दिनांक 13.10.2025 को आयोजित बैठक में प्राप्त अनुमोदन** के क्रम में "उत्तराखण्ड राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों हेतु लाभांश वितरण नीति, 2025" **(The Uttarakhand Policy for Dividend Distribution by State Public Sector Undertakings, 2025)** लागू किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। उक्त नीति के मुख्य प्रावधान निम्नवत् हैं :–

(क) सभी एसपीएसयू को सम्बन्धित वित्तीय वर्ष हेतु कर के बाद लाभ (Profit After Tax-PAT) का न्यूनतम 20% वार्षिक लाभांश देना होगा।

(ख) पिछले वित्तीय वर्ष के लिए लाभांश का भुगतान राज्य सरकार को चालू वित्तीय वर्ष के 31 अक्टूबर तक गैर लेखापरीक्षित लेखों के अनुसार या एसपीएसयू के वैधानिक लेखापरीक्षित खातों की तैयारी के 30 कैलेंडर दिनों के भीतर, जो भी पहले हो, किया जाना चाहिए।

(ग) जिन एसपीएसयू में कोई कर्मचारी नहीं है, लेकिन जिनके पास कोई अचल संपत्तियां हैं, उन्हें परिसमापन (Liquidation) या बंदी की कार्यवाही सम्पादित की जाएगी।"

4– इस सम्बन्ध में **उक्त नीति के हिन्दी व अंग्रेजी रूपान्तरण की प्रतियां संलग्न** कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने–अपने नियंत्रणाधीन विभागों के अन्तर्गत स्थापित एसपीएसयू द्वारा उक्त नीति के आधार पर प्रतिवर्ष 31 दिसम्बर तक विगत वित्तीय वर्ष हेतु देय लाभांश

File No. FIN1/11/2024-XXVII-1-Finance Department (Computer No. 75000)
Generated from eOffice by KAILASH CHANDRA PATHAK, PO Finance Section-I KCR, PO FINANCE, Finance Department on 30/10/2025 11:19 am

(Dividend) का भुगतान राजकोष की सुसंगत प्राप्ति मद में कराया जाना सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।
संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

Digitally signed by
Dilip Jawalkar
Date: 09-10-2025
13:43:04

(दिलीप जावलकर)
सचिव

संख्या :346773/ E- 75000/XXVII(1)/2025 एवं तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड।
4. महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड।
5. सचिव, औद्योगिक विकास/सार्वजनिक उद्यम विभाग, उत्तराखण्ड शासन को इस आशय से कि कृपया उपरोक्त नीति के अनुपालनार्थ समस्त एसपीएसयू को अपने स्तर से भी यथोचित निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें।
6. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड।
7. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
8. समस्त एसपीएसयू, उत्तराखण्ड।
9. बजट अधिकारी, बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
10. गार्ड फाईल।

(दिलीप जावलकर)
सचिव

"The Uttarakhand Policy for Dividend Distribution by State Public Sector Undertakings, 2025"

1. Defination

1.1. "State Public Sector Undertakings (SPSU)" means either:

a. Any Company incorporated under the Companies Act, 1956 or the Companies Act, 2013, or under any other applicable Act (except Limited Liability Partnerships), in which the Government of Uttarakhand, either directly or through one or more State Government companies, exercises "controlling interest"; this definition shall extend to any subsidiary of such a company

b. A Statutory Corporation created by or under an Act of the State Legislature of Uttarakhand, including but not limited to the Uttarakhand Peyjal Sansadhan Vikas Evam Nirman Nigam, the Uttarakhand Parivahan Nigam, and the Uttarakhand Forest Development Corporation.

Note: For the purposes of this definition, "SPSU" shall not include—

i. Central Public Sector Undertakings (CPSUs), their subsidiaries, or statutory corporations established by Parliament; or

ii. Any company, society, trust, or cooperative body in which the Government of Uttarakhand does not hold controlling interest.

1.2 "Controlling interest" means control over the composition of the Board of Directors; or exercise or control over more than one-half of the total share capital or able to exercise more than 50% voting rights in the meeting of the members, Board of Directors or any other similar executive structure, e.g., Governing Body, Executive Committee, etc.

1.3 "Profit after tax" means the excess of income over expenditure after providing for taxes (including deferred taxes)

1.4 "Dividend" from State Public Sector Undertakings means the return on investment made by the Government in the form of share capital assistance which should be in line with profits.

1.5 "Net worth" means the sum of total of the paid-up capital, free reserves and surplus less accumulated deficit and deferred revenue expenditure. It is essentially a measure of what an entity is worth to its owners.

2 Background

State Public Sector Units (SPSUs) are established to conduct commercial activities keeping in mind the welfare of the citizens, thereby playing a vital role in running the economy of the State. SPSUs include corporate bodies of the state government which often participate in sectors such as power generation, transmission and distribution, transportation, telecommunications, mining etc.

As on 31st March 2022, in Uttarakhand, there were 33 SPSUs, out of which 24 were active entities and 09 were inactive. Out of 24 active entities, 02 registered profit and paid dividend, 05 registered profits but did not contributed dividend towards the State's treasury. The remaining 17 entities registered losses in financial year 2021-22. Furthermore, among the 09 inactive entities, 07 were undergoing liquidation proceedings. This situation reflects the need for strengthening financial management of SPSUs and ensuring prudent utilisation of the State's resources.

In financial year 2022-23, the dividend payout on invested capital by Uttarakhand's SPSUs stood at a modest 2.3%, significantly lower than the 15% recorded by Gujarat's SPSUs in financial year 2022-23 and the 60% achieved by Odisha's SPSUs in financial year 2021-22. This stark disparity highlights Uttarakhand's lag in dividend payments compared to other States.

File No. FIN1/11/2024-XXVII-1-Finance Department (Computer No. 75000)

Recognising the importance of structured financial policies, the Central Government and several States, including Gujarat, Odisha, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Maharashtra, Punjab, Delhi, Karnataka and Tamil Nadu, have implemented policies for dividend distribution and capital restructuring of PSUs. The Government of India mandates that all Central Public Sector Units (CPSUs) pay an annual minimum dividend of 30% of Profit After Tax (PAT) or 04% of net worth, whichever is higher. States like Gujarat have adopted the said policy of Government of India. While other states, such as Madhya Pradesh, have set a lower threshold, requiring a 20% PAT contribution.

3 Objective

3.1 To ensure the efficient use of State Government funds by optimising capital investments, managing operating expenses and prioritising high-return projects.

3.2 To promote transparent financial management practices in SPSUs, ensuring compliance with regulatory and other statutory requirements.

3.3 Improve performance of all SPSUs through reform measures and effective governance.

4 Dividend Distribution Conditions

4.1 To ensure prudent utilisation of State's resources, the SPSUs shall be required to pay regular dividends to the State Government.

4.2 All SPSUs meeting the below mentioned criteria shall be required to pay dividends:

a. Net worth of SPSU must be positive.
b. SPSU must have been profitable for the latest financial year and any 02 other financial years in the last 05 financial years excluding the latest financial year.

4.3 SPSUs shall be required to pay dividend as mentioned below:

a. All SPSU shall pay a minimum annual dividend of 20% of the PAT for the respective financial year.
b. Dividend for the preceding financial year must be paid to the State Government by 31st October of the ongoing financial year as per the unaudited accounts or within 30 calendar days of preparation of statutory audited accounts of the SPSU, whichever is earlier.

4.4 SPSUs which do not have any employees but have immovable assets will be liquidated or closed.

4.5 In future, these guidelines related to payment of dividend may be revised to include provisions regarding share buybacks, issuance of bonus shares, share splitting and any other relevant provisions, as appropriate.

Digitally signed by
Dilip Jawalkar
Date: 29-10-2025
13:35:59

(Dilip Jawalkar)
Secretary, Finance,
Government of Uttarakhand

"उत्तराखण्ड राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों हेतु लाभांश वितरण नीति, 2025"

(The Uttarakhand Policy for Dividend Distribution by State Public Sector Undertakings, 2025)

1. परिभाषाएं

1.1. "राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम" का तात्पर्य है :–

(क) कंपनी अधिनियम, 1956 या कंपनी अधिनियम, 2013, या किसी अन्य लागू अधिनियम (सीमित देयता भागीदारी को छोड़कर) के अन्तर्गत निगमित कोई भी कंपनी, जिसमें उत्तराखंड सरकार, सीधे या एक या अधिक राज्य सरकार की कंपनियों के माध्यम से, "नियंत्रण हित" का प्रयोग करती है। यह परिभाषा ऐसी कंपनी की किसी भी सहायक कंपनी पर भी लागू होगी।

(ख) उत्तराखंड राज्य विधानमंडल के किसी अधिनियम द्वारा या उसके अन्तर्गत बनाया गया एक वैधानिक निगम, जिसमें उत्तराखंड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, उत्तराखंड परिवहन निगम और उत्तराखंड वन विकास निगम सम्मिलित हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं।

नोट : इस परिभाषा के प्रयोजनों के लिए, "एसपीएसयू" में निम्नलिखित सम्मिलित नहीं होंगे–

i. केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सीपीएसयू), उनकी सहायक कंपनियां, या संसद द्वारा स्थापित वैधानिक निगम या

ii. कोई भी कंपनी, सोसायटी, ट्रस्ट या सहकारी निकाय जिसमें उत्तराखंड सरकार का नियंत्रण हित नहीं है।

1.2. "नियंत्रण हित" का तात्पर्य निदेशक मंडल की संरचना पर नियंत्रण या कुल शेयर पूंजी के आधे से अधिक पर नियंत्रण या प्रयोग या नियंत्रण या सदस्यों, निदेशक मंडल या किसी अन्य समान कार्यकारी संरचनाओं जैसे शासी निकाय, कार्यकारी समिति आदि की बैठक में 50 प्रतिशत से अधिक मतदान अधिकार का प्रयोग करने में सक्षम होने से है।

1.3 "कर के बाद लाभ" का तात्पर्य कर प्रदान करने के बाद व्यय पर आय की अधिकता (स्थगित करों सहित) से है।

1.4 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से "लाभांश" से तात्पर्य शेयर पूंजी सहायता के रूप में सरकार द्वारा किए गए निवेश पर रिटर्न है जो लाभ के अनुरूप होना चाहिए।

1.5 "नेटवर्थ" का तात्पर्य चुकता पूंजी, मुक्त आरक्षित निधि और अधिशेष को घटाकर संचित घाटा और स्थगित राजस्व व्यय का कुल योग है। यह अनिवार्य रूप से इस बात का माप है कि मालिकों के लिए किसी इकाई का मूल्य क्या है।

2. पृष्ठभूमि

राज्य सार्वजनिक सेक्टर इकाइयों (एसपीएसयू) की स्थापना नागरिकों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए वाणिज्यिक गतिविधियों का संचालन करने के लिए की जाती है,

File No. FIN1/11/2024-XXVII-1-Finance Department (Computer No. 75000)
Generated from eOffice by KAILASH CHANDRA BATHRI, RO Finance Section-I, KGB, RO FINANCE, Finance Department on 28/08/2025 11:43 am

जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को चलाने में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त होता है। एसपीएसयू में राज्य सरकार के निगमित निकाय सम्मिलित हैं जो प्रायः बिजली उत्पादन, पारेषण और वितरण, परिवहन, दूरसंचार और खनन जैसे अन्य क्षेत्रों में प्रतिभाग करते हैं।

दिनांक 31 मार्च 2022 तक, उत्तराखण्ड में 33 एसपीएसयू थे, जिनमें से 24 सक्रिय संस्थाएं और 09 निष्क्रिय थीं। 24 सक्रिय संस्थाओं में से 02 ने लाभ दर्ज किया और लाभांश का भुगतान किया, 05 ने लाभ प्राप्त किया लेकिन राजकोष में लाभांश का योगदान नहीं दिया। शेष 17 संस्थायें वित्त वर्ष 2021–22 में हानि में रहीं। इसके अतिरिक्त, 09 निष्क्रिय संस्थाओं में से 07 में परिसमापन कार्यवाही संचालित थीं। यह स्थिति एसपीएसयू के वित्तीय प्रबंधन को सशक्त करने और राज्य के संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने की आवश्यकता को दर्शाती है।

वित्तीय वर्ष 2022–23 में उत्तराखंड के एसपीएसयू पर राज्य सरकार द्वारा निवेशित पूंजी पर लाभांश भुगतान मात्र 2.3% रहा, जो वित्तीय वर्ष 2022–23 में गुजरात के एसपीएसयू द्वारा प्राप्त किए गए 15% और वित्तीय वर्ष 2021–22 में ओडिशा के एसपीएसयू द्वारा प्राप्त किए गए 60% की तुलना में न्यून है। यह भारी असमानता अन्य राज्यों की तुलना में उत्तराखण्ड में एसपीएसयू द्वारा न्यून लाभांश भुगतान की स्थिति को परिलक्षित करता है।

संरचनात्मक वित्तीय नीतियों के महत्व को समझते हुए, केंद्र सरकार और गुजरात, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, दिल्ली, कर्नाटक और तमिलनाडु सहित कई राज्यों ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लाभांश वितरण और पूंजी पुनर्गठन के लिए नीतियां तैयार कर लागू किया गया है। भारत सरकार द्वारा सभी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयाँ (CPSU) द्वारा कर के बाद लाभ (PAT) का 30% या नेटवर्थ का 04%, जो भी अधिक हो, का वार्षिक न्यूनतम लाभांश भुगतान अनिवार्य किया है। भारत सरकार की उक्त नीति को गुजरात जैसे राज्यों ने अपनाया है। जबकि मध्य प्रदेश जैसे अन्य राज्यों ने लाभांश हेतु कुछ कम सीमा, कर के बाद लाभ (PAT) का 20% निर्धारित किया गया है।

3–<u>उद्देश्य</u>

3.1 पूंजी निवेश के अनुकूलन, परिचालन व्यय के प्रबंधन और उच्चतम रिटर्न वाली परियोजनाओं की प्राथमिकता निर्धारण के माध्यम से राज्य सरकार के धन का कुशल उपयोग सुनिश्चित करना।

3.2 SPSU में पारदर्शी वित्तीय प्रबंधन को बढ़ावा देना और नियामक और अन्य वैधानिक आवश्यकताओं का पालन करना।

3.3 सुधार उपायों और प्रभावी प्रशासन के माध्यम से सभी SPSU के प्रदर्शन में सुधार लाना।

4– <u>लाभांश भुगतान हेतु शर्तें</u>

4.1. राज्य के संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने के लिए, SPSU को राज्य सरकार को नियमित लाभांश का भुगतान करना होगा।

4.2. निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करने वाले सभी SPSU को लाभांश का भुगतान करना आवश्यक होगा :

a) SPSU की नेटवर्थ सकारात्मक होना चाहिए।

b) SPSU को नवीनतम वित्तीय वर्ष और पिछले 05 वित्तीय वर्षों में से किन्हीं 02 वित्तीय वर्षों के लिए लाभदायक होना चाहिए।

4.3. SPSU को निम्नलिखित दिशानिर्देशों के अनुसार लाभांश का भुगतान करना होगा:–

क– सभी SPSU को सम्बन्धित वित्तीय वर्ष हेतु कर के बाद लाभ (Profit After Tax-PAT) का न्यूनतम 20% वार्षिक लाभांश देना होगा।

ख– पिछले वित्तीय वर्ष के लिए लाभांश का भुगतान राज्य सरकार को चालू वित्तीय वर्ष के 31 अक्टूबर तक गैर लेखापरीक्षित लेखों के अनुसार या SPSU के वैधानिक लेखापरीक्षित खातों की तैयारी के 30 कैलेंडर दिनों के भीतर, जो भी पहले हो, किया जाना चाहिए।

4.4 जिन एस.पी.एस.यू. में कोई कर्मचारी नहीं है, लेकिन जिनके पास कोई अचल संपत्तियां हैं, उन्हें परिसमापन (Liquidation) या बंदी की कार्यवाही सम्पादित की जाएगी।

4.5 लाभांश के भुगतान के संबंध में इन दिशानिर्देशों को शेयर बायबैक, बोनस शेयर जारी करने, शेयर विभाजन और अन्य प्रासंगिक प्रावधानों को सम्मिलित किए जाने हेतु भविष्य में पुनरीक्षित किया जा सकेगा।

Digitally signed by Dilip Jawalkar
(दिलीप जावलकर)
Date: 29-10-2025 13:37:14
सचिव